उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-141/2018/2638/92-2-2018-37(जॉच)/2018,

लखनऊ :: दिनांक:: 16 अक्टूबर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद बरेली में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम मानपुर त्रिलोक विकास खण्ड फरीदपुर मे सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के अधोमानक निर्माण कार्य को ठीक कराने में समुचित पर्यवेक्षण न किये जाने, अधीनस्थों पर समुचित नियन्त्रण न रख पाने के फलस्वरूप निर्माण कार्य मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप नहीं होने, कार्य निर्धारित समय-सीमा से पूर्व ही क्षतिग्रस्त होने, अधोमानक कार्य को स्वीकार कर भुगतान की संस्तुति किये जाने के फलस्वरूप परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 2.61 लाख हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री मोहन चन्द्र शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बरेली सम्प्रति सेवानिवृत्त को आरोप पत्र देते हुए उनके विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अन्तर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा को पदेन जांच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बरेली को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की एतद्द्वारा राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- जांच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच आख्या निर्धारित समयान्तर्गत शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-141/2018/2638(1)/92-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रा0अभि0वि0, परिमण्डल-आगरा (संलग्नक सहित)।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बरेली द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- श्री मोहन चन्द्र शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभि0 विभाग, प्रखण्ड-बरेली सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वी0 के0 सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in